R- 99.PBR/16

(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 100–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–11–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 219/अपील/2014–15.

1–मो0फिरोज पुत्र स्व0श्री शेख सिकन्दर,
निवासी म.नं.16, लक्ष्मी टाकिज के सामने,
भोपाल म0प्र0
2–जाहिदा बी पत्नी स्व.उस्मान
निवासी म.नं.15 लक्ष्मी टॉकिज के सामन,
भोपाल म0प्र0 ....आवेदकगण

विरूद्ध

1–शिवनारायण (मृतक) द्वारा उत्तराधिकारी
(अ) राजेन्द्र नाबालिक
संरक्षक चाचा भगवानसिंह पुत्र श्री राजमल
2–जगदीश पुत्र राजमल
3–भगवानसिंह पुत्र राजमल
निवासीगण विसनखेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल,
4–रमाशंकर पुत्र देवचंद मीना (मृतक) द्वारा संरक्षक :–
(1)श्रीमती लीलाबाई मीना पत्नी स्व0श्री रमाशंकर मीना
(2)रूपसिंह मीना पुत्र स्व0श्री रमाशंकर मीना
(3)लखनलाल मीना पुत्र स्व0श्री रमाशंकर मीना
(4)कमलेश मीना पुत्र स्व0श्री रमाशंकर मीना
(5)पर्वतसिंह मीना पुत्र स्व0श्री रमाशंकर मीना
(6)राजेश मीना पुत्र स्व0श्री रमाशंकर मीना
निवासीगण ग्राम पिपलिया बाज खॉं
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0
(7)श्रीमती नीमाबाई पुत्री स्व0 रमाशंकर पत्नी श्री बाबूलाल मीना
निवासी ग्राम धामनिया तहसील हुजूर जिला भोपाल
(8)श्रीमती पप्पीबाई पुत्री स्व0रमाशंकर पत्नी महेश मीना
निवासी ग्राम तारासेवनिया तहसील हुजूर जिला भोपाल
5–श्याम मनोहर अग्रवाल वल्द नारायणदास अग्रवाल
निवासी 48 रामानन्द कॉलोनी भोपाल
..............अनावेदकगण

श्री बी.पी.तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 लगायत 3
श्री नरेन्द्र जोशी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 9

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला भोपाल के आदेश दिनांक 26–4–1975 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 12–9–2011 को लगभी 35 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ/2011–12 दर्ज कर दिनांक 5–6–2012 को अंतिम आदेश पारित किया गया । तदोपरांत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक प्रचलित रहा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–3–15 को आदेश पारित किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 219/अपील/2014–15 दर्ज किया जाकर दिनांक 23–11–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत बटवारे के माध्यम से वर्ष 1977 में अपने पुत्र व पुत्रियों को भूमियॉं दे दी गई थी और अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा लगभग 36 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् अपील अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र व शपथपत्र के साथ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र में विलम्ब का समुचित कारण नहीं दर्शाया गया, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही कोई पर्याप्त कारण दर्शाया गया है, जबकि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है । तर्क के समर्थन में 2002 आरएन 23 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 23–11–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है और अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरू अपील भी प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिये यह निगरानी निरर्थक हो गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में कोई अभिलेख नहीं है, केवल खसरे में प्रविष्टि है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश होने से समय सीमा का बंधन नहीं रह जाता है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे के प्रकरण का फर्जी कमांक खसरे में डाला गया है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई बटवारा हुआ ही नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ प्रतिउत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुत्रियों को हक वर्ष 2005 में प्राप्त हुये हैं, जबकि बटवारा वर्ष 1974 का है ।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया

जा चुका है और जिसकी अपील भी लंबित है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त प्रचलित अपील में उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण निरस्त की जाती है ।

9/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 99–पीबीआर/16 (शत्रुधनसिंह विरूद्ध शिवनारायण) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूलप्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर